सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 06/2017

1. चैनाराम पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचयत महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत महियांवाली
2. हेमराज पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी प्रकरण सख्या 07/2017

1. कृष्णलाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. ग्राम पंचयत महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत महियांवाली
2. हेमराज पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत महियांवाली
दिनांक 05.03.2008

उपस्थित :

1. श्री जगमोहन आहूजा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1
3. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2

:: आदेश :: दिनांक :– 06.08.2019

उक्त दोनों निगरानीयों पूर्व में इस न्यायालय में निगरानी संख्या 45/2008 एवं 08/2009 के रूप में इस न्यायालय में दर्ज थी। जिनका निर्णय दिनांक 06.04.2009 को हुआ था। उक्त निर्णय के विरूद्व निगरानीकर्ताओं द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका की गयी जो क्रमशः एसबी सीविल रिट पेटीशन नम्बर 4301/2009 एवं 4302/2009 के रूप में दर्ज की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2017 को निर्णय दिया कि "The Matters are remanded back to the revisional court for fresh decision of the revision on merit after providing fair opportunity of hearing to the concerned parties and after adverting to the specific grounds of challenge raised in the revision petitions."उक्त निर्णय की पालना में दोनो निगरानियां पुनः नम्बर पर लेकर सुनवायी की गयी। चूंकि दोनो निगरानियों का पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2009 तदुपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2017 को एक ही निर्णय में समाहित किया गया है। अतः अब दोनों निगरानियों में गैरनिगरानीकर्ता एक ही होने से पुनः एक साथ निर्णय दिया जा रहा है।

निगरानी संख्या 06/2017 के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रस्ताव क्रमांक 1 दिनांक 05.03.2008 गलत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। निगरानीकर्ता के हिस्से का तथा उसके नाम से दर्ज भूखण्ड सख्या 312 के 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्से का अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज करने से पूर्व ना तो निगरानीकर्ता को सुनवाई का कोई नोटिस दिया गया और न ही उसे सुना गया। निगरानीकर्ता ने अपना 1/5 हिस्सा किसी तरह से 10/– रूपये के स्टाम्प पर अथवा अन्य किसी दस्तावेज के जरिये अप्रार्थी संख्या 2 को मुन्तकिल नहीं किया है। केवलमात्र रजि0 बैयनामा के आधार पर पंचायत रेकार्ड में नाम हटाया अथवा दज किया जा सकता है। कानूनी प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी संख्या 07/2017 के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार है कि गांव महियावाली के अहाता संख्या 312 का आधा हिस्सा कान्हाराम पुत्र रामचन्द्र, गुमानाराम रावता पि0 घुनीराम के नाम से आधा हिस्सा में से 1/5 हिस्सा भूराराम पुत्र जेठाराम के नाम दर्ज था। इसमें

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उक्त अहाता का आधा हिस्सा में से 1/5 हिस्सा निगरानीकर्ता के नाम से दर्ज किया गया तथा निगरानीकर्ता अपने हिस्से पर काबिज चला आ रहा है। निगरानीकर्ता ने कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 अथवा अन्य किसी को भूखण्ड किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं किया है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड में दिनांक 18.08.1999 को जो दर्ज हुआ है, निरन्तर उसके नाम से चला आ रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 05.03.2008 को उसके हिस्से को गलत तरीके से तथाकथित लिखित के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकपक्षीय है। प्रभावित पक्षकार को सुनवाई हेतु विधिवत् नोटिस जारी नहीं किया गया है। केवलमात्र रजि0 बैयनामे के आधार पर पंचायत रेकार्ड में नाम हटाया अथवा दर्ज किया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर पुनः सुनवाई की गई। सभी पक्षो एवं अधिवक्ताओं को पुनः अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 06.04.2009 को हमारी निगरानी खारिज होने पर मेरे द्वारा माननीय राजस्थान होईकोर्ट जोधपुर में रिट पेटीशन नम्बर 4301/2009 एवं 4302/2009 पेश की गई। हाईकोर्ट में मेरे द्वारा पृथक पृथक निगरानी की गई। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा संयुक्त कर रिट पेटीशन में सुनवाई की गई। माननीय हाईकोर्ट द्वारा हमारा पक्ष सुनकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। प्लाट नम्बर 312 में 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्सा कृष्णलाल का व 1/5 हिस्सा चैनाराम दिनांक 05.03.2008 को एक प्रस्ताव पेश कर श्री हेमराज को हस्तांतरण करने का प्रस्ताव लेकर किया। जिसका आधार पारिवारिक इकरारनामा है जो पंजीकृत नहीं है जिसकी अहमियतता नहीं है। उक्त इकरारनामा पर मेरे हस्ताक्षर भी नहीं है। उक्त विवादित प्लाट पहले कानाराम और गुमानाराम के पास था जिसे हमने खरीदा था । 18.08.1998 को पंचायत ने उक्त विवादित प्लाट हमारे नाम कर दिया। पंचायत प्रोसेडिंग रजिस्टर पर चेनाराम के हस्ताक्षर फर्जी है तथा कृष्णलाल के तो हस्ताक्षर ही नहीं है। दिनांक 07.02.2008 को 10/–रूपये के स्टाम्प पर जो इकरारनामा हुआ है उसकी कोई कानूननी अहमियतता नहीं है। श्री हेमराज द्वारा नाजायज कब्जा किया हुआ है। ईकरारनामा को ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जब तक रजिर्स्टड नहीं करायेगा। उक्त ईकरारनामा रजिस्ट्रर नहीं है। प्रोपर्टी ट्रान्सफर के लिए ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट बना हुआ है। रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रभावशाली है। उक्त ईकरारनामा कानूनी मान्यता नहीं रखता है। हमारे खिलाफ सिविल न्यायलय में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया था जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता के मध्य कोई घरू बंटवारा नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मूल दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। अपने तर्को के समर्थन में आर.बी.जे. 2006 पेज–487–499, आर.बी.जे 2006. पेज–593 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान का निर्णय पेश किये है। मियाद का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है किन्तु निगरानी में मियाद के प्रार्थना पत्र देना आवश्यक नही है। प्रस्ताव को चैलेंज किया जा सकता है। यदि मेरा ईकरारनामा भी बिना पंजीयन के हुआ है तो सही नहीं कहा जा सकता। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा अपने तर्को के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की है :–

1. आर.बी.जे. (13) 2006 पेज– 593–600
2. आर.बी.जे. (13) 2006 पेज– 487–500

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्लाट नम्बर 312 के 2 हिस्से 1/2 हिस्सा भूराराम एवं 1/2 हिस्सा जेठाराम के नाम था। भूराराम के 5 लिगल वारिस बीरबल, कालूराम, लालचन्द, नानूराम, किशोरीलाल थे। जिसमें प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता था। बीरबल ने अपना 1/5 हिस्सा ओमप्रकाश/हमराज व कालू ने 1/5 हिस्सा बलवन्त/ हेमराज को बेचान कर दिया। 1/5 हिस्सा चेनाराम को लालचन्द ने बेचान 15.07.1997 को एवंम नानूराम ने 1/5 हिस्सा किशनलाल को बेचान किया ये ईकरारनामे 2/–रूपये के स्टाम्प पर किया गया एवंम नानूराम ने भी 2/– के स्टाम्प पर बेचान किया। दिनांक 18.08.1999 को ग्राम पंचायत ने इन्ही बेचाननामों के आधार पर खरीददारों के नाम दर्ज कर दिया। चेनाराम एवं कृष्णलाल ने

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पारिवारिक सेटलमेंट के आधार पर 07.02.2008 को ईकररानामा किया एवंम पंचायत बैठक दिनांक 18.08.1999 को चेनाराम , कृष्णलाल के नाम उक्त विवादित प्लाट आया। इन दोनो ने पारिवारिक समझौते के आधार पर 07.02.2008 को हमारे नाम उक्त विवादित प्लाट किया एवं पंचायत ने दिनांक 05.03.2008 को पंचायत की आम बैंक में हमारे नाम दर्ज किया। उक्त पंचायत बैठक में चैनाराम मौजूद था एवं हस्ताक्षर भी चैनाराम द्वारा किये गये। निगरानीकर्ता द्वारा चैनाराम के हस्ताक्षरों को फर्जी बताया गया परन्तु आज तक कोई फौजदारी मुकदमा हमारे विरूद्व पेश नहीं किया ना ही कोई कार्यवाही हमारे खिलाफ की ? केवलमात्र कह देने से हस्ताक्षर फर्जी नहीं हो जाते। निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 05.03.2008 के प्रस्ताव पर दिनांक 17.02.2009 को निगरानी पेश की गई है। धारा 97(3) में निगरानी 90 दिन में होनी चाहिए। निगरानीकर्ता द्वारा दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं दिया। निगरानीकर्ता को दिनांक 16.09.2008 को स्वयं प्रार्थना पत्र से सूचना मिल गयी थी फिर भी 90 दिन में निगरानी पेश नहीं की गई। अतः मियाद के बिन्दु पर निगरानी खारिज योग्य है। निगरानी किसी प्रस्ताव के विरूद्व पेश नहीं की जा सकती अपितु आदेश के विरूद्व की जा सकती है। निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर सही है। इनकी निगरानी वेग है। अतः खारिज योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा अपने तर्को के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की है :–

1. ए.आई.आर. 1966 (एस.सी.) पेज– 323
2. ए.आई.आर. 1988 पेज– 881
3. डी.एन.जे. 2010 (एस.सी.) पेज–446
4. डी.एन.जे. 2010 पेज–1047
5. डी.एन.जे. 2006 वोल्यूम –1 पेज–11
6. डी.एन.जे. 2009 वोल्यूम –111पेज–1549
7. डी.एन.जे. 2015 वोल्यूम –11 पेज–715

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। कार्यवाही के दौरान निगरानीकर्ता उपस्थित था। निगरानीकर्ता की उपस्थिति एवं सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकृत आदेश पारित किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एसबी सीविल रिट पेटीशन नम्बर 4301/2009 एवं 4302/2009 में इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि पक्षकारों को सुनवायी का उचित अवसर देते हुए निगरानी में उठाये गये विशिष्ट बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय करें। निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानीयों में जो मुख्य बिन्दु उठाया है वह यह कि इकरारनामा पंजीकृत नहीं है और ग्रांम पंचायत में विधिक प्रकिया अपनाये बिना अपना प्रस्ताव पास कर दिया है। हमने निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का परीक्षण किया। निगरानीकर्ता द्वारा पेश नजीर हेमराज सिंह बनाम नंदलाल 84/2005 आर.बी.जे. (13) पेज–593 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था की गयी "जब किसी अचल सम्पति का विक्रय होता है तथा उसका कब्जा केता को सुपर्द किया जाता है तो वहां यदि एग्रीमेंट पंजीकृत नहीं है तो साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। इसी तरह राज0 उच्च न्यायालय का निर्णय आर.बी.जे. 2006 पेज –487 अनुसार "Where the family partition settlement was written on plain paper, held that besides its genuineness is doubtful, a family partition document should be essentially registered." उक्त दोनों नजीरे भिन्न संदर्भ होने से पूर्णतया इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा पेश ए.आई.आर. 1988 पेज–881 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण रेशम सिंह बनाम जिले सिंह इस पर पूर्ण रूप से लागू होती है जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था जहां पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर कोई दस्तावेज बनाया जाता है तो उसका पंजीयन अनिवार्य नहीं है। इसी तरह डी.एन. जे. 2010 पेज– 446 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण एस.कलादेवी बनाम वी.आर. सोमसुन्दरम में भी द्वारा भी यह व्यवस्था दी है कि अन रजिस्टर्ड सैल डीड को भी साक्ष्य के रूप में ग्राहय किया जा सकता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि स्वयं निगरानीकर्ता के इस भूमि पर जिन दस्तावेजो के आधार पर अधिकार सर्जित हुए वो दस्तावेज भी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पंजीकृत नहीं है। ऐसे में निगरानीकर्ता द्वारा यह बिन्दू उन पर कि दिनांक 07.02.2008 का सैलमैंन्ट पंजीकृत नहीं है मान्य नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालयों के दोनो निर्णयों से यह व्यवस्था स्पष्ट है कि गैर पंजीकृत सैटलमैन्ट का भी साक्ष्य के रूप में ग्राहय माना जा सकता है जहां तक ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का बिन्दू है ग्रांम पंचायत ने उक्त प्रस्ताव अपनी 05.04.2008 की साधारण सभा में लिया है। उक्त पंचायत की बैठक में निगरानीकर्ता चैनाराम उपस्थित था और उसके ग्रांम पंचायत के रजिस्टर में हस्ताक्षर अंकित है ऐसे में ग्राम पंचायत की बैठक में विचारविमर्श के उपरान्त 07.02.2008 के दस्तावेज के आधार पर निगरानीकर्ताओं के स्थान पर गैरनिगरानीकर्ता हेमराज का नाम खसरा रजिस्टर में अंकित करने का प्रस्ताव लिया है जो विधिक दृष्टि से उचित है यदि चेनाराम राजकीय दस्तावेज (ग्राम पंचायत बैठक रजिस्टर) में अंकित अपने हस्ताक्षर को फर्जी बताता है तो उसे फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी जो नहीं की गयी ऐसे में राजकीय दस्तावेज को फर्जी नहीं माना जा सकता। अतः निगरानीकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दू पोषणीय नहीं है। ग्राम पंचायत की प्रक्रिया में विधिक दृष्टि में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। ऐसे में ग्राम पंचायत के 05.03.2008 की बैठक के प्रस्ताव सख्या 1 विरूद्व पेश उक्त निगरानियां पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

आदेश की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत महियावाली को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन) 6/8/19
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर